म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26,अरेरा हिल्स,किसान भवन,भोपाल

कमांक /निर्माण/509

प्रति,

भोपाल,दिनांक 07/7/2020

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति............................(समस्त)
जिला...................

विषयः–केंद्र सरकार द्वारा कृषिउपज मंडी अधिनियम में संशोधन से उत्पन्न परिस्थितियों मंडी बोर्ड को आर्थिक गतिविधियों में कमी करने एवं अन्य गतिविधियों पर नियंत्रण करने बावत्।

सन्दर्भ–श्री चंद्रशेखर अग्निहोत्री(राजगुरू)कटनी से प्राप्त पत्र क्रं. 157 दि.22.06.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र में केंद्र सरकार द्वारा कृषिउपज मंडी अधिनियम में संशोधन से उत्पन्न परिस्थितियों मंडी बोर्ड को आर्थिक गतिविधियों में कमी करने एवं अन्य गतिविधियों पर नियंत्रण करने बावत् प्रस्तुत किया है, जिसमें निर्माण शाखा से संबंधित बिन्दु निम्नानुसार हैः–

1. कृषि उपज मंडियों में जो निर्माण कार्य प्रारंभ नही हुये है उन्हें तत्काल रोक कर उनकी स्वीकृतियां निरस्त करना चाहिये।
2. इस अधिनियम को दृष्टिगत रखते रखते हुये जो भी निविदायें पूर्व में प्रकाशित की गई है उसे तत्काल निरस्त करना चाहिये
3. मंडी बोर्ड के तकनीकी संभागों को समाप्त कर दिया जाना चाहियें।
4. अनावश्यक निर्माण कार्यो पर तत्काल रोक लगाना चाहिये जैसे कृषि उपज मंडी समिति कटनी में फल–सब्जी मंडी का करोड़ों रूपया लगाकर पूर्व में निर्माण किया गया जो अब उपयोग न होने से खराब हो रहा है फल–सब्जी व्यापारी अपनी प्राईवेट मंडी निर्माण कर चुके है कोई व्यापारी मंडी में नही आना चाहता। वर्तमान में कई करोड़ों का काम मंडी में फल–सब्जी मंडी का चल रहा है जो " वेष्ठित व्यय"की श्रेणी में आता है।
5. प्रदेश की मंडी समितियों में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्ग्रेनाइजेशन को प्रति कॉम्पलेक्स 30,000/– पर संचालित करने का ठेका दिया है। इस संबंध में प्रबंध संचालक महोदय के पत्र के तहत कार्यवाही की जाकर अवगत करावें।

अतः उपरोक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिन्दुओं के संबंध में आपका अभिमत कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग के माध्यम से अविलंब भिजवाना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण यंत्री 7/7
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कमांक /निर्माण/510

भोपाल,दिनांक 07/7/2020

प्रतिलिपिः–

कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग म.प्र.राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड.........................(समस्त) की ओर आपके संभाग की मंडियों से प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित कर आपके माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अधीक्षण यंत्री 7/7
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

CE-47---------370

Scanned with CamScanner